छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 657 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2025-03288**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वाल'', प्रमोटर–छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सी.पी.डी–01, पता–पंचम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वाल'' पता–डूमरतराई, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
02/02/2026	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वाल'' पंजीयन क्रमांक–PCGRERA060421001221 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 06.04.2021 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–04 एवं धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 12.12.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदन अनुसार पंजीयन क्रमांक–PCGRERA060421001221 दो बार रजिस्ट्रेशन हो गया है, विलोपित किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस्तु प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 657 प्रकरण क्रमांक –**M-COM-2025-03288**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वाल'', प्रमोटर–छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सी.पी.डी–01, पता–पंचम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एट सरदार वाल'' पता–डूमरतराई, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	